

प्रभारी अधिकारी,
विश्वविद्यालय बेवसाइट
एरिस सैल

बीज उत्पादन केन्द्र पर लगे 2858 पॉपलर (2634 हरे तथा 224 सूखे) एवं 255 यूकेलिप्टस के वृक्षों की बिक्री के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन प्रसारित किया जाना है। जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न)।

विज्ञापन का प्रारूप

बीज उत्पादन केंद्र, पन्तनगर

पेड़ों की बिक्री हेतु निविदा बिक्री की सूचना

बीज उत्पादन केंद्र, पन्तनगर में निम्न-विवरणानुसार उपलब्ध विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की बिक्री हेतु दिनांक 11/12/2021 तक ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र0सं0	विभाग	वृक्ष प्रजाति एवं संख्या
1.	बीज उत्पादन केंद्र, पन्तनगर	2858 पॉपलर (2634 हरे तथा 224 सूखे) वृक्ष
2.	बीज उत्पादन केंद्र, पन्तनगर	255 यूकेलिप्टस वृक्ष

उपरोक्त का पूर्ण विवरण एवं बिक्री/ निविदा की शर्तें हेतु बीज उत्पादन केंद्र के कार्यालय में दिनांक 22/11/2021 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 11/12/2021 प्रातः 11:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में रु0 2360.00 (सभी कर सहित) प्रति निविदा (नान रिफन्डेबल) के भुगतान दर पर प्राप्त किया जा सकता है।

संयुक्त निदेशक
बीज उत्पादन केन्द्र

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रारूपों को विश्वविद्यालय बेवसाइट में विज्ञापित कराने का कष्ट करें।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

SPC|2751
16/11/2021

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(Ranvir)
13-11-2021
संयुक्त निदेशक
Director
बीज उत्पादन केन्द्र
Seed Production Centre
Pantnagar-263145, Uttarakhand

कार्यालय , संयुक्त निदेशक, बीज उत्पादन केन्द्र
गो० ब० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

पत्रांक / बी०उ०के० / 2753

दिनांक: 16.11.2021

पेड़ों की बिक्री हेतु निविदा/नीलामी की सूचना

बीज उत्पादन केन्द्र, पन्तनगर में लगे वृक्षों की बिक्री हेतु दिनांक 11/12/2021 तक ठेकेदारों/फर्मों से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं निविदाएं संयुक्त निदेशक, बीज उत्पादन केन्द्र, पन्तनगर के कार्यालय में दिनांक 13/12/2021 को अपरान्ह 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा खेली जायेगी तथा केवल उन्हीं ठेकेदारों/फर्मों की निविदाएं स्वीकार की जायेगी जो दिनांक 11/12/2021 तक सायं 5:00 बजे से पूर्व रु 25,000.00 बैंक ड्राफ्ट के साथ अधोहस्तक्षरी के कार्यालय में जमा की गयी होगी। निविदा में भाग लेने से पूर्व ठेकेदार पेड़ों का भलीभाँत निरीक्षण कर लें। बिक्री हेतु पापलर एवं यूकेलिप्टस के कुल पेड़ों की सख्त निम्नवत् है।

क्र० सं०	वृक्षों का विवरण एवं संख्या
1.	2858 पॉपलर (2634 हरे तथा 224 सूखे)
2.	255 यूकेलिप्टस

निविदा प्रपत्र शर्तों सहित संयुक्त निदेशक, बीज उत्पादन केन्द्र, पन्तनगर के कार्यालय में रु 2360.00 (सभी कर सहित) प्रति निविदा (नान रिफन्डेबल) नगद जमा कर दिनांक 11/12/2021 अपरान्ह 4.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।


निविदा की शर्तें

1. निविदा में भाग लेने हेतु क्रेताओं को धरोहरराशि (अर्नेस्ट मनी) के रूप में रु 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो नियंत्रक, गो०ब०पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के नाम जो भारतीय स्टेट बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/यूको बैंक/यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में भुनाया जा सके दिनांक 11/12/2021 के सायं 5.00 बजे से पूर्व निविदा प्रपत्र के साथ अधोहस्तक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
2. उक्त धरोहर राशि असफल निविदादाता, निविदा स्वीकृत के 15 दिनों के भीतर मूलरूप से प्राप्त कर सकते हैं।
3. किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति जी को निहित है।
4. उच्चतम् निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाता की जमा धरोहरराशि (अर्नेस्ट मनी) निविदा की कार्यवाही समाप्त होने पर लौटा दी जायेगी।
5. सफल क्रेता को बोली छुटने के तुरन्त बाद 10% सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। तथा 20% धनराशि अग्रिम भुगतान के रूप में नकद जमा करनी होगी तथा 20% धनराशि जमा न करने पर रु 25,000.00 को जब्त कर ली जायेगी।
6. सफल क्रेता को कुलपति जी की स्वीकृति के उपरान्त 15 दिन के अन्दर 40% नगद धनराशि जमा करनी होगी, यदि उच्चतम् निविदादाता 40% नगद धनराशि जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसकी पूर्व में जमा की गयी रु 25,000.00 एवं 20% जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. वृक्षों की कटाई से पूर्व क्रेता को शेष 40% धनराशि जमा करनी होगी। जिसमें पूर्व में जमा रु 25,000.00 धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा।
8. सफल क्रेता को बोली स्वीकृत होने पर क्रेता को पत्र प्राप्ति के 15 दिन में अपने खर्च पर रु 100.00 का नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय के साथ लिखित अनुबन्ध करना होगा। जिसकी संविदा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जायेगी।

20.11.21
J. Director
Seed Product

13/11

9. वृक्षों की कटाई एवं माल निकासी वन विभाग द्वारा निकासी खुलने के एक माह के भीतर पूर्ण करनी होगी। वृक्षों का कटान क्रमवार करना होगा। विद्युत तारों के निकट स्थित बाधायुक्त वृक्षों के कटान में स्थिति के अनुसार विभागीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
10. सीमा दीवार के नजदीक लगे हुये वृक्षों को सावधानी से काटना होगा। जिससे की सीमा दीवार को किसी तरह का नुकसान न हो। यदि सीमा दीवार को नुकसान होता है तो क्रेता के द्वारा उसे स्वतः ही ठीक कराना होगा।
11. प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष की जड़ के पास 15 X 15 सेमी⁰ का गढ़ा धन (+) छाप लगा दी जायेगी। उक्त धन की छाप वाले वृक्ष ही क्रेता द्वारा काटे जायेंगे। तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ वृक्ष की जड़ का खुदान कराना भी अनिवार्य होगा।
12. वृक्षों की लकड़ी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का कोई भी उत्तरादायित्व नहीं होगा। अतः निविदादाता को निविदा देने से पूर्व मौके पर वृक्षों का स्वयं निरीक्षण कर लेना होगा। बिक्री स्वीकृत होने के उपरान्त लकड़ी में किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने पर कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
13. नीलामी स्वीकृति के उपरान्त क्रेता को कठी हुई लकड़ी को देखभाल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
14. माल की निकासी से पूर्व क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी से परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क आदि की धनराशि क्रेता का स्वयं जमा करनी होगी।
15. क्रेता एवं उसके सभी कर्मियों के परिचय पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो इस कार्यालय में जमा करने होंगे।
16. निविदा/ठेके के संबंध में किसी भी विवाद का निस्तारण एकल पंचाट (Sole Arbitrator) द्वारा किया जायेगा। एंव उसकी सुनवाई कुलपति महोदय अथवा उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा कुलपति जी का निर्णय अन्तिम एंव दोनों पक्षों का मान्य होगा।
17. क्रेता एवं उसके सभी कर्मियों द्वारा कार्य प्रारम्भ से अन्तिम निकासी के दिनांक तक विश्वविद्यालय अथवा केन्द्र की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाये जाने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
18. ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा धनराशि कार्य के सन्तोषजनक समाप्ति पर नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
19. क्रेता को उपरोक्त सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में क्रेता द्वारा जमा की गयी समरत धनराशि जब्त करते हुये बिक्री रद्द कर दी जायेगी।
20. प्रत्येक प्रजाति के वृक्षों से जहाँ आवश्यक हो वहाँ 4 इंच चौड़ा गोल सैम्प्ल आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा।


 Sanjay Kumar
 Seerji Pantnagar Police Station
 Pantnagar-263145, Uttarakhand


 13/11